14.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

सभी विनियामक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण के लिए संदर्भ एक स्थान पर
One-Stop Reference for Submission of All Regulatory Returns

व्यवसाय की सुगमता और अनुपालन के भार में कमी
towards ease of business & reduction in compliance burden

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने व्यवसाय करने की सुगमता और अनुपालन का भार कम करने के लिए एक अनुकूल परिवेश को सुसाध्य बनाने हेतु बीमा क्षेत्र के लिए विनियामक ढाँचे की एक व्यापक समीक्षा प्रारंभ की है।

इस कार्य के एक भाग के रूप में, सिद्धांत-आधारित विनियमों की दिशा में अग्रसर होते हुए, 37 विनियमों को 7 विनियमों के रूप में समेकित किया गया है और 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी रूप में अतिरिक्त 2 नये विनियम अधिसूचित किये गये हैं। इन विनियमों के अधीन परिचालनगत दिशानिर्देश मास्टर परिपत्रों के रूप में जारी किये गये हैं।

इन विनियमों / परिचालनगत दिशानिर्देशों के अधीन फाइल किये जाने के लिए अपेक्षित 60 विभिन्न विनियामक विवरणियाँ अब एक स्थान पर सम्मिलित की गई हैं तथा *विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र* के रूप में जारी की गई हैं। इस मास्टर परिपत्र में 142 विवरणियों का संग्रह भी है, जिन्हें विभिन्न आवधिकताओं (तिमाही / छमाही / वार्षिक) में आईआरडीएआई के पास फाइल करने की आवश्यकता है।

यह मास्टर परिपत्र 2014 से जारी किये गये दस परिपत्रों का अधिक्रमण करता है तथा आईआरडीएआई के पास फाइल की जानेवाली 202 विनियामक विवरणियों के संबंध में बीमाकर्ताओं (एफआरबीएस सहित) के लिए एक स्थान पर समग्र संदर्भ उपलब्ध कराता है।

उक्त मास्टर परिपत्र तक इस लिंक पर पहुँचा जा सकता है- (लिंक)

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has taken up a comprehensive review of regulatory framework for the insurance sector, to facilitate a favourable environment for ease of doing business and reducing compliance burden.

As part of this exercise, moving towards principle-based regulations, 37 regulations consolidated into 7 regulations and additional 2 new regulations were notified, effective from 1st April 2024. Operational guidelines under these regulations are issued as Master Circulars.

Various regulatory returns numbering 60 required to be filed under these regulations / operational guidelines are now collated in one place and are issued as a *Master Circular on Submission of Returns*. The Master Circular also has a collection of 142 returns, required to be filed with IRDAI in different periodicities (quarterly / half-yearly / annual).

This Master Circular supersedes ten circulars issued since 2014 and provides a one-stop reference for insurers (including FRBs) on 202 regulatory returns to be filed with IRDAI.

The Master Circular can be accessed at (link)

***